<u>BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI</u>

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 612 OF 2024

<u>IN THE MATTER OF</u>:

Lakshmi & Ors.

....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

....Respondent

<u>INDEX</u>

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit of Naib Tehsildar Meerut on behalf of District Magistrate Meerut, in compliance of order dated 07.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**<u>Annexure R-1:</u>** A Copy of order dated 07.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	**<u>Annexure R-2:</u>** A Copy of Joint Inspection Committee Report dated 29.10.2024	
4.	**<u>Annexure R-3:</u>** A Copy of the Final Report dated 07.12.2024.	

5.	**<u>Annexure No. R-4:</u>** A copy_of letter dated 17.09.2024.	

Ankit Verma

THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 0999080440

Email-ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 612 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Lakshmi & Ors.

....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

....Respondent

AFFIDAVIT OF NAIB TEHSILDAR MEERUT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 07.11.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Satish aged about 34 years, S/o Murari Lal presently posted as Naib Tehsildar District Meerut Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am the above-mentioned authorized officer on behalf of answering Respondent 3 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.

3. That the deponent is posted as Naib Tehsildar, District Meerut, since 01.07.2022 and is swearing this affidavit in his official capacity.

4. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 07.11.2024 was pleased to issue the following directions:-

"............Counsel for the State and respondent No. 5 are also directed to place on record the orders, if any, passed by the ESI Authority and details of the proceedings which are pending before the Authority. 5. List on 18.12.2024..............."

NOTARY NAROTTEM KUMAR GOVT. OF U.P. PRADESH (INDIA)

A copy of the order dated 07.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**.

5. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 07.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

6. That the alleged unfortunate accident occurred on 27.02.2024 in the factory of Respondent No. 5.

7. That the primary reason which led to the accident was opening of the heating reactor gate which was opened by the workers/ labourers, present at the time of the explosion which occurred in the factory.

8. That the factory of the Respondent No. 5 is located outside the Municipal limits of District Meerut.

9. That the District Magistrate, Meerut, vide its office order 586/osdcamp/2024 dated 27.02.2024 constituted a joint inspection committee, comprising of officials from District Administration to thoroughly investigate the alleged accident and submit a detailed report.

10. That the Sub Divisional Magistrate Tehsil Mawana District Meerut submitted the Joint Inspection Committee Report to the District Magistrate on 29.10.2024. A copy of joint inspection committee report is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

11. That on complaint being received by the Applicant (Mrs. Lakshmi, wife of deceased Shankarlal), a First Information Report dated 12.07.2024 under Section 304A, 337, 338, 452, 504, & 506 of the Indian Penal Code, 1860 and under Section 3 (2) (va) of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was lodged against both the partners of Respondent No. 5. The investigation in the aforesaid FIR was conducted by the Circle Officer Meerut, in which the investigation has been completed and Final Report No.77/24 has been filed in the Court of Additional Chief Judicial Magistrate 4 Meerut on 07.12.2024. A copy of the Final Report dated 07.12.2024 is herewith annexed and marked as **Annexure No. R-3.**

12. That the Respondent No.5 reported the accident which occurred on 27.02.2024, resulting in death of two employees namely Shankar Lal and Praveen Kumar before the Employees State Insurance Corporation (Branch Office Meerut). That the report of accident has been approved in

both the cases and after due investigation, it has been held as employment injury/death arising during such employment for which monthly pension has been approved. That the Deputy Director Sub Regional Office ESIC vide his letter dated 17.09.2024 has informed Branch Manager ESIC Meerut that the case has been approved as employment injury of both deceased persons and further documents for verification is required by the eligible dependants. A copy of letter dated 17.09.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4**

13. That in the interest of justice, the present affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal, in the interest of justice.

DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 17 day of Dec , 2024.

DEPONENT

Certified that Shri Sahil S/o Shri Mazrul ... Resident of ... Identified by ... Sworn the Contents of the affidavit on oath before NAROTTAM KUMAR GARG Advocate ... deponent Attested.

NOTARY 7/12/2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 612 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Lakshmi & Ors.

....Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors

....Respondent

AFFIDAVIT

I, Satish aged about 34 years, S/o Murari Lal presently posted as NaibTehsildar District Meerut Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

1. That I am fully acquainted with the facts, circumstances and records of the instant case.
2. That I further state that the averments made in the application have been thoroughly read and understood by me and thereby I declare that the application has been prepared on behalf of District Magistrate Meerut i.e. Respondent No. 3.

3. That the contents of the accompanying application are all true to my knowledge and the rest are on information derived from papers of the case and believed by me to be true.

DEPONENT

Verification:

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above Affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. Verified by me. on this 17 day of Dec 2024,

DEPONENT

NOTARY
17/12/2024

Annexure R-1

Item No. 09 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 612/2024

Lakshmi & Ors. Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 07.11.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Rahul Khurana, Mr. Hasil Jain & Mr. Shaim Hasan, Advs. For Applicant

Respondent: Mr. Ankit Verma, Adv. for the State of UP (Through VC)
Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advs. for UPPCB
Mr. Rahul Kumar, Adv. for R - 5 (Through VC)

ORDER

1. Learned Counsel for State as also respondent no.5 have submitted that proceedings before ESI authority are pending in respect of award of compensation to the family members of the deceased victim and for injured and they have further submitted that most probably final order will be passed within two weeks.

2. Learned Counsel for the applicant placing reliance upon the order of the Tribunal dated 15.03.2023 passed in OA No. 150/2023 has submitted that compensation needs to be awarded under section 17 of the NGT Act, 2010 and that in view of overriding provision under Section 33 of the Act, proceedings before the other authorities will not come in the way of awarding the compensation.

3. Counsel for the other parties are permitted to examine the said order.

4. Counsel for the State and respondent No. 5 are also directed to place on record the orders, if any, passed by the ESI Authority and details of the proceedings which are pending before the Authority.

5. List on 18.12.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

November 07, 2024
Original Application No. 612/2024
JG..

Annexure R-2

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना।

संख्या 924/एस0टी0–मवाना/2024 दिनांक 29 अक्टूबर 2024

जिलाधिकारी
मेरठ।

महोदय,

कृपया महोदय के कार्यालय आदेश संख्या–586/ओ0एस0डी कैम्प/2024 दिनांक 27–02–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक 27–02–2024 को तहसील मवाना क्षेत्रान्तर्गत थाना इंचौली स्थित दुर्गा एण्टरप्राईजेज फैक्ट्री में बॉयलर फटने की घटना घटित हुई। उपर्युक्त घटना की जांच हेतु निम्नांकित अधिकारी की एक जांच समिति गठित करते हुए उपर्युक्त घटित घटना के कारणों की जांच कर संयुक्त रूप से सुस्पष्ट आख्या चाही गयी है। गठित जांच समिति निम्नवत् है :–

1– उप जिलाधिकारी, मवाना।
2– पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर।
3– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मेरठ।
4– उप श्रमायुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
5– क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मेरठ।
6– मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ।
7– सहायक निदेशक, कारखाना मेरठ।

उक्त के सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र, मेरठ से जांच आख्यानुसार उक्त प्रतिष्ठान दिनांक 03.05.2018 से कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रतिष्ठान में पुराने टायरों का तापीय विघटन करके कार्बन पाउडर, स्टील वायर, फ्यूल ऑयल को Extract किया जाता है। दिनांक 27.02.2024 को प्रातः 06:15 पर प्रतिष्ठान में 11 श्रमिक कार्यरत थे। कारखाने में 02 Pyrolysis Plant (M/C) स्थापित है, जिसका लगभग 25x9 फिट का Cyllinderical आकार है। Pyrolysis मशीन नं0–2 पर कुछ श्रमिक हुड लगाकर कार्बन पाउडर को निकालने का काम कर रहे थे। कार्बन को निकालने के पश्चात वे मशीन के Flang (लीड) के बोल्ट को खोल रहे थे, उसी दौरान Cyllinderical Vessele में Flue गैसेज के Accumutation होने के कारण अत्यधिक दबाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण लगभग 500 Kg का Flang Blast (तेजी) के साथ बाहर आया, जिसकी चपेट में आने से 02 श्रमिकों की मृत्यु हो गयी एवं 03 श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस क्रम में सेवायोजक प्रतिष्ठान को कार्यालय पत्र संख्या 2852–57 दिनांक 28 फरवरी, 2024 द्वारा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 10–A के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित कर दी गयी है। प्रकरण पर सजग दृष्टि रखी जा रही है।

2– इसी प्रकार सहायक निदेशक कारखाना उ0प्र0 मेरठ क्षेत्र मेरठ की जांच आख्यानुसार मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राईजेज, ग्राम–मसूरी, मवाना रोड, मेरठ में दिनांक 27.02.2024 को सुबह लगभग 6:00 बजे रोज की तरह पायरोलिसिस प्रक्रिया से वेस्ट स्क्रैप टायर का थर्मल डिकम्पोजिशन से उत्पाद जैसे कार्बन, तार, पायरोलिसिस ऑयल और पायरो गैस (H_2, H_2S, CO, CO_2, CH_4, C_2H_4, C_3, H_6 एवं अन्य गैसेस) का उत्पादन होता है। दिनांक 26–02–2024 को सुबह 8:00 बजे रिएक्टर में पायरोलिसिस के लिए वेस्ट स्क्रैप टायर लगभग 7 टन को लोड किया

Scanned with OKEN Sca

गया, जिसकी प्रक्रिया समाप्त होने के अगले दिन दिनांक 27–02–24 को उत्पाद कार्बन एवं तार को निकालने के लिए रिएक्टर कैप में लगे 21 बोल्ट, M25x180mm) को खोलने का कार्य 02 कर्मकार 1– श्री शैन्की 2– श्री बब्लू द्वारा किया जा रहा था। रिएक्टर में इकट्ठा पायरोलिसिस से बने उत्पाद कार्बन को बोरी में इकट्ठा करने के इक्यूप्मेन्ट को रिएक्टर कैप से जोड़ने के लिए सामने से कर्मकार 1– श्री शंकर लाल पुत्र श्री विजय पाल 2– प्रवीन पुत्र श्री चतर सिंह द्वारा लाया जा रहा था। रिएक्टर में पायरो गैस की पूर्णता समाप्ति को सुनिश्चित किए बगैर रिएक्टर कैप के बोल्ट को खोला जा रहा था। कुछ बोल्ट खोलते ही रिएक्टर में उपस्थित पायरो गैस के फ्लेमेबल रेंज में होने से वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन (अनकंट्रोल्ड एयर इनटेक) से अभिक्रिया कर ली। हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनो ऑक्साइड का रूम ताप और दाब पर लिमिटिंग ऑक्सीजन कन्सनट्रेशन 4% है, जिससे इस अभिक्रिया से रिएक्टर के अन्दर एक्सप्लोसिव मिक्सर बन गया और रिएक्टर के अन्दर विस्फोट हुआ, जिससे रिएक्टर का कैप बोल्ट और कब्जे को तोड़कर निकल गया जिसकी चपेट में कार्बन को इकट्ठा करने की इक्यूप्मेन्ट को लाने वाले कर्मकार प्लेट जिसका व्यास लगभग 8.5 फीट और वजन लगभग 1 टन है, की चपेट में आ गया जिससे दोनों कर्मकारों की मृत्यु हो गयी और नट खोलने वाले 02 कर्मकार घायल हो गये, जिनको उपचार के लिए दिव्य ज्योति हास्पिटल, गंगानगर, मेरठ में भर्ती कराया गया है जहाँ से उनको प्राथमिक उपचार देकर न्यूटिमा हास्पिटल, मेरठ में रेफर कर दिया गया है। जहाँ से श्री बब्लू के स्वस्थ होने के कारण डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा शैन्की का उपचार किया जा रहा है।

3– मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ से जांच आख्यानुसार मैसर्स दुर्गा इण्टरप्राईजेज, ग्राम मसूरी, मवाना रोड, मेरठ में दिनांक 27.02.2024 को सुबह लगभग 06.00 बजे रोज की तरह पायरोलिसिस प्रक्रिया से वेस्ट स्क्रैप टायर का थर्मल डिकम्पोजिशन से उत्पाद जैसे कार्बन, तार, पायरोलिसिस ऑयल और पायरो गैस (H_2, H_2S, CO, CO_2, CH_4, C_2H_4, C_3, H_6 एवं अन्य गैसेस) का उत्पादन होता है। दिनांक 27–02–2024 को उत्पाद कार्बन एवं तार को निकालने के लिए रिएक्टर कैंप में लगे बोल्टों को खोलने का कार्य 02 कर्मकार 1– श्री शैन्की 2–श्री बब्लू द्वारा किया जा रहा था। रिएक्टर में इकट्ठा पायरोलिसिस से बने उत्पाद कार्बन को बोरी में इकट्ठा करने के इक्यूप्मेन्ट को रिएक्टर कैंप से जोडने के लिए सामने से कर्मकार 1 शंकर लाल पुत्र श्री विजय पाल 2– प्रवीन द्वारा लाया जा रहा था। रिएक्टर में पायरो गैस की पूर्णता समाप्ति को सुनिश्चित किए बगैर रिएक्टर कैंप के बोल्ट को खोला जा रहा था। कुछ बोल्ट खोलतें ही रिएक्टर में उपस्थित पायरो गैस के फ्लेमेवल रेंज में होने से वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन (अनकंट्रोल्ड एयर इनटेक) से अभिक्रिया कर ली। इस अभिक्रिया से रिएक्टर के अन्दर एक्सप्लोसिव मिक्सर बन गया और रिएक्टर के अन्दर विस्फोट हुआ, जिससे रिएक्टर का कैप बोल्ट और कब्जे को तोड़कर निकल गया, जिसकी चपेट में आकर उक्त घटना में 02 कर्मकार 1–श्री शंकर लाल पुत्र श्री विजय पाल उम्र 32 वर्ष, 2– श्री प्रवीन पुत्र श्री चतरू उम्र 22 वर्ष निवासीगण ग्राम किशोरीपुर थाना इंचौली मेरठ की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा 03 कर्मकार 1–दिनेश कुमार पुत्र ज्ञान सिंह उम्र 35 वर्ष 2– श्री सोनपाल पुत्र श्री बीरबल उम्र 45 वर्ष 3– श्री शैन्की पुत्र सोनपाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण किशोरीपुर थाना इंचौली मेरठ गंभीर रूप से घायल हो थे जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत औद्योगिक भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाऐं मानको के अनुरूप एवं कार्यशील दशा में स्थापित न होने के कारण दिनांक 16.08.2023, 09.01.2024 व 29.02.2024 को नियमानुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाऐं स्थापित एवं कार्यशील किये जाने हेतु भवन स्वामी को

GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) NAROTTAM KUMAR GARG Advocate NOTARY

उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम–2022 धारा 29 (1) के अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ द्वारा नोटिस निर्गत किये गये है, जिनकी वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।

4— उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मेरठ से जांच आख्यानुसार कोई भी व्यक्ति जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने की आशा रखता है, स्वः घोषणा के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल https://udyamregistration.gov.in पर ऑनलाईन उद्यम पंजीकरण के लिए आवेदन, आधार संख्या एवं पेन कार्ड की उपलब्धता होने पर स्वतः ही कर सकता है, इसमें दस्तावेज, कागजात या किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्रों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्यमी द्वारा वेब पोर्टल https://udyamregistration.gov.in पर पंजीयन के समय इकाई का विवरण भरा जाता है। वेब पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन के समय भू–उपयोग (आवासीय/औद्योगिक/कृषि/आदि) का विवरण नहीं माँगा जाता है। पंजीकरण के पश्चात तुरन्त ही उद्यम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल द्वारा जारी हो जाता है। उद्यम रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वतः निरीक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। जिला उद्योग केन्द्र को उद्यम पंजीकरण को जारी/स्वीकृत/निरस्त एवं स्वतः भौतिक स्थलीय निरीक्षण करने हेतु कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत सरकार द्वारा संचालित वैब पोर्टल पर उपलब्ध पंजीकृत उद्योगों की सूची में मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज फैक्ट्री का नाम दर्ज नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त इकाई द्वारा पोर्टल पर भी किसी प्रकार का पंजीयन नहीं कराया गया है।

5— क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मोदीपुरम मेरठ से जांच आख्यानुसार दिनांक 27.02.2024 को उद्योग में हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच हेतु दिनांक 27.02.2024 एवं महोदय के आदेशानुसार पुनः दिनांक 28.02.2024 को निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् हैं :–

1. उद्योग में वेस्ट टायर, ट्यूब का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पायरोलेसिस ऑयल, कार्बन ब्लैक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में 10 मी0टन/बेच क्षमता के 02 रिएक्टर स्थापित है।
2. उद्योग में स्थापित रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रारम्भिक हिटिंग हेतु वेस्ट वुड/वायोमास का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद प्रक्रिया से जनित पायरो गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनित पायरो गैस की अतिरिक्त मात्रा को भूतल से लगभग 30 मी0 ऊँची पलेयर स्टैक के माध्यम से बर्न किया जाता है।
3. उद्योग में एक समय में 01 ही रिएक्टर का संचालन किया जाता है। दोनों रिएक्टर से जनित वायु उत्सर्जन का निस्तारण भूतल से लगभग 30 मी0 ऊँची चिमनी से किया जाता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी के साथ वेट स्क्रबर स्थापित है।
4. उद्योग द्वारा कंडेंसर से पायरोलेसिस ऑयल को बन्द बैसल में एकत्र कर बन्द परिपथ द्वारा टैंक में भण्डारित किया जाता है। ऑयल की मैनुअली हैण्डलिंग नहीं की जाती है।
5. उद्योग को राज्य बोर्ड से उद्योग के संचालनार्थ सशर्त जल/वायु सहमति प्राप्त है, जो कि वर्तमान में वैध है।
6. दिनांक 27.02.2024 को हुई दुर्घटना में उद्योग में स्थापित रिएक्टर नहीं फटा है। रिएक्टर के गेट खोलने से दुर्घटना घटित हुई है, ऐसा गर्म रिएक्टर को निर्धारित समय

से पूर्व ठण्डा किये बिना ही प्रेशर युक्त रिएक्टर का गेट खोलने से दुर्घटना घटित होना सम्भावित है।

7. मौके पर ज्ञात हुआ कि दुर्घटना में 02 श्रमिको की मृत्यु हुई हैं तथा 03 श्रमिक घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाये गये।
8. घटित दुर्घटना लापरवाही के कारण होना परिलक्षित होता है। उद्योग से वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण के कारण दुर्घटना होना दृष्टिगोचर नही होता है।

उक्त जांच के सम्बन्ध में कार्यालय के नोटिस संख्या–768 दिनांक 22 जुलाई 2024 व पत्र संख्या–769/एस0टी0–मवाना/2024 दिनांक 30 जुलाई 2024 स्वामी दुर्गा एन्टरप्राईजेज फैक्ट्री फिटकरी मवाना को निर्गत कर दिनांक 04–08–2024 को प्रातः 10:00 बजे प्रकरण सम्बन्धी व समस्त विभागों की एन0ओ0सी0, सुरक्षा व्यवस्था, साईनेज इत्यादि अभिलेखों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी, जिसके क्रम में श्री दीपक जैन स्वामी दुर्गा एन्टरप्राईजेज फैक्ट्री फिटकरी मवाना हॉल निवासी बावली रोड बडौत जनपद बागपत उपस्थित हुए तथा फैक्ट्री से सम्बन्धित विभन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य साक्ष्य/अभिलेख प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार कार्यालय के नोटिस संख्या–2085 दिनांक 12 सितम्बर 2024 निर्गत कर 1. श्री विजयपाल (मृतक शंकरलाल के पिता), 2. श्री चतरू (मृतक प्रवीण के पिता), 3. श्री दिनेश कुमार पुत्र ज्ञान सिंह, 4. श्री सोहनपाल पुत्र बीरबल, 5. श्री शैंकी पुत्र सोहनपाल समस्त निवासीगण–ग्राम किशोरीपुर थाना इंचौली तहसील मवाना जिला मेरठ (घायल) को दिनांक 17–09–2024 को अपरान्ह 12:00 बजे उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी। नियत दिनांक 17–09–2024 को श्री सोहनपाल पुत्र बीरबल आयु 46 वर्ष व श्री दिनेश पुत्र श्री ज्ञान सिंह आयु 38 वर्ष (दोनो घायल) उपस्थित हुए तथा श्री शैंकी पुत्र सोहनपाल अनुपस्थित रहे तथा श्री चतरू पुत्र साधुराम (मृतक प्रवीन के पिता) आयु 60 वर्ष तथा श्रीमति लक्ष्मी पत्नी स्व0 शंकरलाल (मृतक शंकरलाल की पत्नी) आयु 27 वर्ष उपस्थित हुए। इनके द्वारा क्रमशः अपने–अपने मौखिक कथनोपरान्त अपने–अपने बयान दर्ज कराये गये, जिनमें क्रमशः उल्लिखित किया गया है कि : –

1– चतरू का पुत्र प्रवीन, 2. श्रीमति लक्ष्मी का पति शंकर दुर्गा एन्टरप्राईजेज फिटकरी फैक्ट्री में कार्य करते थे। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से इनकी मृत्यु हो गयी। फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था मानक के अनुरूप नही थी, जिस कारण हादसा हुआ। फैक्ट्री मालिक द्वारा उस समय दोनो पक्षों को 05–05 लाख रूपये नकद पुलिस–प्रशासन के सामने दिये गये थे तथा 10–10 लाख रूपये के चैक ओर दिये गये थे जोकि बाऊन्स हो गये। 10–10 लाख रूपये नही दिये गये है और उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया गया है। हमें 10–10 लाख रूपये दिये जाये तथा कठौर कार्यवाही की जाये।

इसी क्रम में घायल सोहनपाल पुत्र बीरबल आयु 46 वर्ष व श्री दिनेश पुत्र ज्ञान सिंह आयु 38 वर्ष द्वारा अवगत कराया गया कि हम दुर्गा एन्टरप्राईजेज फिटकरी फैक्ट्री में बॉयलर लोड का कार्य करता था। दिनांक 27–02–2024 को वहां पर बॉयलर फट गया, जिसमें हम गम्भीर रूप से घायल हो गये। हमारा उपचार पहले दिव्याज्योति अस्पताल गंगानगर में कराया गया इसके पश्चात जिलाधिकारी महोदय द्वारा न्यूट्रिमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां 06 दिन इलाज चला इसके पश्चात घर आकर स्वयं अपना उपचार कराया। फैक्ट्री मे सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई उपकरण तथा मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था नही थी बिना सुरक्षा के यह हादसा हो गया। इसी प्रकार बयानकर्ता सोहनपाल पुत्र बीरबल द्वारा भी संयुक्त रूप से यही कथन कहे।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में श्री दीपक जैन स्वामी दुर्गा एन्टरप्राईजेज द्वारा दिनांक 19–09–2024 को कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित रूप मे अपना पक्ष रखते हुए

सम्बन्धित विभागो द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिसमे उल्लिखित किया है कि "रिएक्टर को सुरक्षित रूप से चलाने एवं सुरक्षित रूप से बंद करने की संपूर्ण जिम्मेदारी ऑपरेटर की होती है। श्री सोहनपाल एवं अन्य लोग ऑपरेटर के असिस्टेंट/सहायक थे। प्लांट के संचालन संबंधित सभी महत्वपूर्ण टेक्निकल जानकारी ऑपरेटर एव असिस्टेंट को होती है। यदि प्लांट मे कोई भी फाल्ट होता है तो ऑपरेटर प्लांट संचालक को देता है, जिसको दुरुस्त कराने का कार्य संचालक का होता है, लेकिन ना ही ऑपरेटर एवं असिस्टेंट ने हम संचालको को रिएक्टर में किसी प्रकार को कोई कमी या फाल्ट बताया था। प्लांट के कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला की ऑपरेटर एवं अस्सिटेंट ने समय से पहले रिएक्टर का ढक्कन/गेट खोल दिया था, जिससे ये हादसा हो गया, जिस समय यह घटना हुयी सूचना मिलने पर मै तुरन्त अपने आवास बडौत से जो 80 km लगभग है से प्लांट के लिए चल दिया था और सभी घायलों के लिए एम्बुलेंस सभी अस्पताल में भर्ती करने के लिए अपने मुनीम को एवं ऑपरेटर को निर्देश दे दिये थे, जिससे घायलों का इलाज करवाया और पैमेंट की। प्लांट पर पहुंचने पर पता चला की घायलों में से दो मजदूर की मौत हो गयी है। प्लांट मे लगभग 500 लोगो की भीड़ थी, जिसमे कुछ असमाजिक तत्व मेरे साथ एवं मेरे भाई के साथ हाथापाई कर रहे थे एवं जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लांट से भाग कर इंचौली थाने में जान बचाई। इंचौली थाने में भी कुछ असामाजिक तत्वों ने हम संचालको को जबरदस्ती दबाव और धमकाकर 10 लाख रुपये लें लिए एवं चैक ले लिए और एक फैसलानामा बनाकर जबरदस्ती सिग्नेचर करा लिए, जबकि वहां उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि ये सब गलत है, जो भी मुआवजा मिलेगा ESIC से मिलेगा और अधिकारियों ने किसी भी समझौते में सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, लेकिन असामजिक तत्वों ने हम संचालको के साथ हाथापाई और गाली गलोच करने लग गये थे। अपनी जान बचाने के लिए दबाव में आकर हमने 10 लाख और चैक दे दिये थे। चूंकि प्लांट के आकउंट में पैसे नही होने की वजह से चैक बाउंस हो गये थे। इसी कारण पैसे उगाही करने के लिए मेरे और मेरे भाई और अन्य लोगो के ऊपर जानबूझकर मुकदमा करवाया गया है, जो सरासर पूरी तरह गलत है। इसलिए आप से सादर अनुरोध है की आप हम सभी को पूर्ण न्याय देने की कृपा करें। महोदय हम अपना कारखाना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा NOC प्राप्त करके मानको के अनुसार चलाते रहे है।"

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित विभाग की आख्याओं एवं दो श्रमिको के परिजनों एवं दो घायल तथा एक घायल शैंकी के पिता सोहनपाल द्वारा दर्ज कराये गये बयानों तथा श्री दीपक जैन स्वामी दुर्गा एन्टरप्राईजेज फिटकरी द्वारा प्रस्तुत किये गया अपना पक्ष एवं साक्ष्य के रूप में उपलब्ध करायी गयी सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत एवं अन्य साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन/परिशीलन किया गया। उपरोक्त आख्याओं एवं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर जांच आख्या निम्नवत् है :-

मैसर्स दुर्गा एन्टप्राईजेज के0एच0–757/1 एवं 762/2 मेरठ मवाना रोड दिनांक 03–05–2018 से कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा कारखाने में पुराने टायरों का तापीय विघटन करके कार्बन पाउडर, स्टील वायर, फ्यूल ऑयल को Extract किया जाता है। कारखाने में 02 Pyrolysis Plant (M/C) स्थापित है, जिसका लगभग 25x9 फिट का Cyllinderical आकार है। Pyrolysis मशीन नं0–2 पर 02 श्रमिक 1–श्री शैन्की, 2–श्री बब्लू द्वारा रिएक्टर में इकट्ठा पायरोलिसिस से बने उत्पातन कार्बन को बोरी में इकट्ठा करने के इक्युपमेन्ट को रिएक्टर कैप से जोडने के लिए सामने से श्रमिक 1–शंकरलाल पुत्र विजयपाल, 2–प्रवीन पुत्र चरतू सिंह द्वारा लाया जा रहा था। रिएक्टर में पायरो गैस की पूर्णता समाप्ति को सुनिश्चित किए बगैर रिएक्टर कैप के बोल्ट को खोला जा रहा था। कुछ बोल्ट खोलते ही रिएक्टर में उपस्थित पायरो गैस के फ्लेमेबल रेंज में होने से वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन

(अनकंट्रोल्ड एयर इनटेक) से अभिक्रिया कर ली। हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनो ऑक्साइड का रूम ताप और दाब पर लिमिटिंग ऑक्सीजन कन्सनट्रेशन 4% है, जिससे इस अभिक्रिया से रिएक्टर के अन्दर एक्सप्लोसिव मिक्सर बनने से रिएक्टर के अन्दर विस्फोट हुआ, जिससे रिएक्टर का कैप बोल्ट और कब्जे को तोड़कर निकल गया जिसकी चपेट में कार्बन को इकट्ठा करने की इक्यूप्मेन्ट को लाने वाले कर्मकार प्लेट जिसका व्यास लगभग 8.5 फीट और वजन लगभग 1 टन है, की चपेट में आ गया जिससे दोनों श्रमिक क्रमशः 1–शंकरलाल पुत्र विजयपाल, 2–प्रवीन पुत्र चरत सिंह की मृत्यु हो गयी एवं 03 श्रमिक क्रमशः 1–दिनेश कुमार पुत्र ज्ञान सिंह उम्र 35 वर्ष 2–सोहनपाल पुत्र श्री बीरबल उम्र 45 वर्ष 3–शैन्की पुत्र सोहनपाल उम्र 20 वर्ष निवासीगण किशोरीपुर थाना इंचौली मेरठ गंभीर रूप से घायल हो थे, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु दिव्य ज्योति हास्पिटल, गंगानगर, मेरठ में भर्ती कराया गया है जहाँ से उनको प्राथमिक उपचार देकर न्यूटिमा हास्पिटल, मेरठ में रेफर कर दिया गया है, जहां पर घायलो के कथनानुसार 06 दिन तक उपचार चला। इसके पश्चात वे अपने घर पहुँच गये। तीसरा घायल व्यक्ति शैंकी जोकि उपस्थित नही हुआ, परन्तु इनके पिता सोहनपाल द्वारा अवगत कराया गया कि शैंकी गम्भीर रूप से घायल है तथा चलने–फिरने में असमर्थ है, जिस कारण से वह उपस्थित नही हो सका है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पीडित पक्ष द्वारा स्वामी मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज फिटकरी मवाना रोड मवाना के विरूद्ध श्रीमति लक्ष्मी आदि बनाम अमित जैन आदि फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–411 सन् 2024 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–04 मेरठ अन्तर्गत धारा–156 (3) योजित की है। इसी प्रकार मैसर्स दुर्गा एन्टरप्राईजेज फिटकरी मवाना रोड मवाना द्वारा अमित कुमार जैन बनाम श्रीमति लक्ष्मी आदि फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–721/24 सन् 2024 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–04 मेरठ अन्तर्गत धारा–156 (3) योजित की है, जोकि वर्तमान में विचाराधीन है।

–: निष्कर्ष :–

कारखाने में स्थापित 02 Pyrolysis Plant (M/C) से कार्बन पाउडर को निकालने का कार्य के पश्चात श्रमिक मशीन के Flang (लीड) के बोल्ट को खोल रहे थे, उसी दौरान Cyllinderical Vessele में Flue गैसेज के Accumutation होने के कारण अत्यधिक दबाव उत्पन्न होने के कारण रिएक्टर के अन्दर विस्फोट हुआ। प्रथम दृष्टया उपरोक्त दोनो श्रमिको की इसकी चपेट में आने के कारण दुर्घटना होना तसदीक हुआ है।

श्री दीपक जैन द्वारा थाना इंचौली में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मृतक के परिजनों को 05–05 लाख रूपये नकद दिये गये है, स्पष्ट है एवं 10–10 लाख रूपये के चैक मृतक के परिजनों एवं कुल 15.50 लाख (पन्द्रह लाख पचास हजार रूपये) के चैक घायलो के नाम से देते हुए एक समझौतानामा भी हस्ताक्षर कर दिया गया। उक्त समस्त चैक बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक बाउन्स हो गये है, जिसके सम्बन्ध में वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–04 में अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0 एक्ट विचाराधीन है। श्री दीपक जैन का यह कथन कि थाने में इनके साथ जबरदस्ती/गाली–गलौच कर चैक लिये गये है, स्वीकार किये जाने योग्य नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि तीनो घायलो का उपचार श्री दीपक जैन द्वारा कराया गया है। उपचार के दौरान धनराशि अंकन 5,91,149/– रूपये व्यय हुए है, अस्पताल के बिलों की प्रति संलग्न है। मृतक कर्मचारी शंकरलाल पुत्र श्री विजयपाल व प्रवीण पुत्र श्री चतरू के आश्रित पक्ष यदि चाहें तो सक्षम न्यायालय (आयुक्त, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923) के समक्ष कर्मचारी प्रतिकर

NOTARY NAROTTEM KUMAR Advocate Head Quarter Meerut Reg.No 01/03/89 GOVT. OF UTTAR PRADESH INDIA

अधिनियम 1923 के प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार अपना दावा प्रस्तुत कर राहत धनराशि प्राप्त कर सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त जांच आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मेरठ।

उप श्रमायुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मेरठ।

9.11.24

मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ।

सहायक निदेशक, कारखाना मेरठ।

04/11/24.

क्षेत्राधिकारी सदर देहात

उप जिलाधिकारी मवाना।

NOTARY
NAROTTEM KUMAR GARG
Advocate
Head Quarter Meerut
Reg. No.
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

Annexure R-3

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : ए0सी0जे0एम0 04 मेरठ (के न्यायालय में)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** मेरठ
   P.S. (थाना): इंचौली — **Year(वर्ष):** 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0164 — **Date(दिनाँक):** 12/07/2024
2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01
3. **Date(दिनाँक):** 07/12/2024
4. **S.No.** **Acts(अधिनियम)** **Sections(धाराएँ)**

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	304-A
2	भा दं सं 1860	337
3	भा दं सं 1860	338
4	भा दं सं 1860	452
5	भा दं सं 1860	504
6	भा दं सं 1860	506
7	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित	3(2)(va)

5. **Type of Final Form/Report** अंतिम पत्र
   (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):
6. **If FR Unoccurred**
   (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):
7. **If Charge sheet** मूल
   (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

NOTARY NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Meerut Reg. No. 01/2009 GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

8. **Name of I.O. at the time of charge sheet** (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम): TIRATH PAL

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No. (सं.):**982541469

9. (a) (क) **Name of complainant / informant** (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
श्रीमती लक्ष्मी

(b)(ख) **Husband 's Name** (पति का नाम) : स्व0 शंकरलाल

10. **Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:**
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal

11. **Particulars of accused persons charge-sheeted**(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

12. **Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect)**
(आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) **Name** (नाम): अमित जैन

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) **Father 's Name** (पिता का प्रमोद जैन

(iii) **Date/Year of birth**(जन्मतिथि/वर्ष): 1984

(iv) **Sex** (लिंग): पुरुष

(v) **Nationality** (राष्ट्रीयता): भारत

(vi) **Passport No.**(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

NOTARY MUKESH KUMAR GARG Advocate UTTAR PRADESH (INDIA)

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	बावली रोड , बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	बावली रोड , बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved (संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii Status of the accused (suspect) (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting (आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): साक्ष्य के अभाव में

S. No.(क्रं.सं.): 2

(i) Name (नाम): दीपक जैन

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father 's Name (पिता का प्रमोद जैन

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1986

NOTARY NAROTTEM KUMAR BABU Advocate ... UTTAR PRADESH (INDIA)

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii)Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	बावली रोड , बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	बावली रोड , बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved (संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii Status of the accused (suspect) (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii)Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv)Any Special remarks including reasons for not charge sheeting (आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): साक्ष्य के अभाव में

NOTARY NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Head Quarter Baghpat Reg. No. 01/08/89 UTTAR PRADESH

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

S. No.(क्र.सं.): 3

(i) Name (नाम): गुलजार फैक्ट्री मैनेजर

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's/Husband's Name

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1986

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii)Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	अज्ञात , अज्ञात
2	स्थायी पता	अज्ञात , अज्ञात

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved (संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii Status of the accused (suspect) (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

NAROTTEM KUMAR GARG Advocate NOTARY UTTAR PRADESH (INDIA)

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting (आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): साक्ष्य के अभाव में

S. No.(क्रं.सं.): 4

(i) Name (नाम): दीपक ठाकुर

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's/Husband's Name

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1982

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

NOTARY
NAROTTEM KUMAR GARG
Advocate
GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	अज्ञात , अज्ञात
2	स्थायी पता	अज्ञात , अज्ञात

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved (संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii Status of the accused (suspect) (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting (आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): नाम पता तस्दीक न होने के कारण

S. No.(क्रं.सं.): 5

(i) Name (नाम): 02-03 व्यक्ति अज्ञात

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's/Husband's Name

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 1988

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii)Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	अज्ञात , अज्ञात
2	स्थायी पता	अज्ञात , अज्ञात

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Suspicion approved (संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii Status of the accused (suspect) (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii)Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv)Any Special remarks including reasons for not charge sheeting (आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): नाम पता तस्दीक न होने के कारण

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मोo नंo)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	श्रीमती लक्ष्मी / 9000000000	पति: स्व0 शंकरलाल	1999		वर्तमान पता: ग्राम किशोरीपुरा, इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम किशोरीपुरा,	शिकायतकर्ता

					इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत	
2	श्रीमती नवीना शुक्ला सीओ सदर देहात / 9454401586	:			वर्तमान पता: क्षेत्राधिकारी सदर देहात,इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: क्षेत्राधिकारी सदर देहात,इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी
3	उ0नि0 तीर्थपाल पीएनओ 982541469 / 9411260359	:			वर्तमान पता: थाना इंचौली, इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना इंचौली, इंचौली,मेरठ,उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी दिनांक 12.07.2024 को वादिया श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व शंकरलाल निवासी ग्राम किशोरीपुरा, थाना इन्चौली, जनपद मेरठ के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 156(3) दंप्रसं के अनुपालन में थाना हाजा पर मुअसं 164/2024 धारा 304ए, 337,338,452,504,506 भादवि व 3 (2) 5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट बनाम 1. अमित जैन पुत्र प्रमोद जैन 2. दीपक जैन पुत्र प्रमोद जैन निवासीगण बावली रोड़ थाना बड़ोत, जनपद बागपत 3. गुलजार (फैक्ट्री मैनेजर) 4. दीपक ठाकुर निवासीगण अज्ञात एवं 0203 अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना श्रीमती नवीना शुक्ला, क्षेत्राधिकारी सदर देहात महोदया के द्वारा ग्रहण कर आरम्भ की गई, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान बयान वादिया, निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाहान, अवलोकन मैडिकल प्रपत्र मजरूबगण, अवलोकन पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान स्वतन्त्र गवाहान आदि साक्ष्य संकलन की कार्यवाही अमल में लायी गयी, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 452,504,506 भादवि व 3 (2) 5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट का होना नहीं पाये जाने पर अभियोग से उक्त धारा 452,504,506 भादवि व 3(2)5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट का लोप किया गया । तदोपरान्त अभियोग की विवेचना नियमानुसार दिनांक 10.11.2024 को मुझ उनि को आवंटित हुई, जिसके कम में दिनांक 11.11.2024 को मुझ उनि के द्वारा विवेचना ग्रहण कर सम्पदित की जा रही है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकरण के सम्बन्ध में श्रीमान जिलाधिकारी मेरठ, महोदय के द्वारा गठित की गई संयुक्त जच कमेटी की रिपोर्ट की छायाप्रति प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन से पाया कि उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित घटना के सम्बन्ध में श्रीमान जिलाधिकारी, मेरठ महोदय के द्वारा

UTTAM KUMAR GARG NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH

उपजिलाधिकारी, मवाना, पुलिस क्षेत्राधिकारी, सदर देहात, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मेरठ, उप श्रमायुक्त, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, मेरठ, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ एवं सहायक निदेशक, कारखाना, मेरठ की एक जच समिति गठित की गई। उक्त समिति के द्वारा जच से पाया कि दुर्गा एण्टरप्राईजेज फैक्ट्री दिनांक 03.05.2018 से कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रतिष्ठान में पुराने टायरों का तापीय विघटन करके कार्बन पाउडर, स्टील वायर, फ्यूल ऑयल को Extract किया जाता है। दिनांक 27.02.2024 को प्रातः 06:15 पर प्रतिष्ठान में 11 श्रमिक कार्यरत थे। कारखाने में स्थापित 02 Pyrolysis Plant (M/C) से कार्बन पाउडर को निकालने का कार्य के पश्चात श्रमिक मशीन के Flang (लीड) के बोल्ट को खोल रहे थे, उसी दौरान Cyllinderical Vessele में Flue मैसेज के Accumutation होने के कारण अत्यधिक दवाव उत्पन्न होने के कारण रिएक्टर के अन्दर विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आने पर 1. श्री शंकरलाल पुत्र श्री विजयपाल उम्र 32 वर्ष 2. श्री प्रवीन पुत्र श्री चतरू उम्र 22 वर्ष निवासीगण ग्राम किशोरीपुर, थाना इन्चौली, मेरठ की मृत्यु हो गयी तथा 03 कर्मकार 1. श्री दिनेश कुमार पुत्र ज्ञान सिंह 2. श्री सोनपाल पुत्र श्री बीरबल 3. श्री शैन्की पुत्र सोनपाल निवासीगण ग्राम किशोरीपुर, थाना इन्चौली, जनपद मेरठ गंभीर रूप से घायल हो गये। प्रथम दृष्टया उपरोक्त दोनों श्रमिकों की इसकी चपेट में आने के कारण दुर्घटना होना तसदीक हुआ। नामित श्री दीपक जैन द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मृतक के परिजनों को 05...05 लाख रूपये नकद दिये गये है एवं 10...10 लाख रूपये के चैक मृतक के परिजनों एवं कुल 15.50 लाख के चैक घायलों के नाम से देते हुये एक समझौतानामा भी हस्ताक्षर कर दिया गया। उक्त समस्त चैक बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक बाऊन्स हो गये है, जिनके सम्बन्ध में वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 04 में अन्तर्गत धारा 138 एन0आई एक्ट में विचाराधीन है । अब तक की तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान बयान वादिया, निरीक्षण घटनास्थल, बयान गवाहान, अवलोकन मैडिकल प्रपत्र मजरूवगण, अवलोकन पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान स्वतन्त्र गवाहान अवलोकन संयुक्त समिति रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियोग में अभियोजन चलाये जाने योग्य साक्ष्य नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में विवेचना जरिये अन्तिम रिपोर्ट संख्या 77/24 दिनांक 07.12.2024 को समाप्त की जाती है। अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने की कृपा करें।

NAROTTAM KUMAR GARG ADVOCATE GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)

17.Refer Notice served नहीं **Date(दिनाँक):**
(जारी किए नोटिस):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 07/12/2024

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :

NAROTTAM KUMAR GARG Advocate Notary ... UTTAR PRADESH

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): SO INCHAULI

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 9454403978

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): TIRATH PAL

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 982541469

UTTAR PRADESH (INDIA) ... NAROTTEM ... GOVT. OF UTTAR PRADESH

Annexure R-4

तारपता:- राज्य बीमा

NCCF/08-09/08/5,000

उप क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
बी-64, सैक्टर-57, नोएडा(उ0प्र0)-201304

क0 आर0 आ0 429
ईमेल- sro-noida@esic.nic.in
Toll Free No: 1800112526

संख्या: 67/N/SRO/DB/6723149495/2054/2024

दिनांक: 17.09.2024

सेवा मे,

BRANCH MANAGER
ESIC, Meerut

विषय: स्व. श्री Praveen बीमांक 6723149495 के मृत्यु का मामला, जिनकी दिनांक 27.02.2024 को मृत्यु हुई।

महोदय,

उपर्युक्त मृतक मामले के संदर्भ में प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, **Meerut** को सूचित किया जाता है कि रोजगार चोट के फलस्वरूप मामले को मृत्यु में स्वीकृत कर लिया गया है। अतएव निवेदन है कि निम्न दस्तावेजों को प्राप्त कर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे, जिससे आश्रित हितलाभ दर निकाल कर आश्रितों को सूचित किया जा सकें। आश्रित के प्रपत्र 18 पर दावे जो कि उनके हस्ताक्षरयुक्त एंव समर्थ अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो यथा (1) राजस्व व न्यायकि या सरकारी दण्डनायक विभाग के अधिकारी या (2) म्युनिसिपल कमिश्नर या (3) श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त या (4 ग्राम पंचायत का मुखिया या (5) उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी ।

2. आश्रितों की आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जो निम्न दस्तावेजो की संपुष्टि सहित हो:-

क- जन्म सम्बन्धी सरकारी अभिलेख का प्रमाणिक उद्धरण जिनमें जन्म तिथि स्थान एंव पिता का नाम दिया हों।

ख- जन्म के तुरन्त बाद तैयार की गई मूल जन्म - पत्री ।

ग- विद्यालय अभिलेखों से प्रमाणित उद्धरण जिसमे जन्मतिथि तथा पिता का नाम हो ।

घ- वपतिस्मा रजिस्टर का प्रमाणित उद्धरण।

3. विधवा अन्य महिला आश्रित का घोषणा-पत्र जिसमें लिखा हो कि मृतक की मृत्यु तिथि से उन्होने विवाह / पुर्नविवाह नहीं किया है।

4. संबंधित अवधि का अंशदान कार्ड जो नियोजक के मजदूरी अभिलेखों में बीमांकित व्यक्ति के अंशदान अभिलेख से जाच किया गया हो।

NOTARY
NAROTTEM KUMAR
Advocate
UTTAR PRADESH (INDIA)

आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

Signed by
Piyush Joshi
Date: 17-09-2024 17:16:22

उप निदेशक (हितलाभ)

<u>प्रतिलिपि:-</u>
श्री/श्रीमती/पत्नी **Chatar Singh (F/o Late Praveen)** बीमा संख्या **6723149495** पता **Mawana Road Meerut Uttar Pradesh 250401** को सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ की वह उपरोक्त वांछित प्रपत्र ESIC शाखा कार्यालय **Meerut** में जमा करें।

उप निदेशक(हितलाभ)

GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) ★ NOTARY ★ NAROTTEM KUMAR GARG Advocate Meerut

NCCF/08-09/08/5,000

उप क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
बी-64, सैक्टर-57, नोएडा(उ0प्र0)-201304
ईमेल- sro-noida@esic.nic.in
Toll Free No: 1800112526

संख्या: 67/N/SRO/DB/6723149471/2053/2024 दिनांक: 17.09.2024

सेवा में,

BRANCH MANAGER
ESIC, Meerut

विषय: स्व. श्री Shankar Lal बीमांक 6723149471 के मृत्यु का मामला, जिनकी दिनांक 27.02.2024 को मृत्यु हुई।

महोदय,

उपर्युक्त मृतक मामले के संदर्भ में प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, **Meerut** को सूचित किया जाता है कि रोजगार चोट के फलस्वरूप मामले को मृत्यु में स्वीकृत कर लिया गया है। अतएव निवेदन है कि निम्न दस्तावेजों को प्राप्त कर क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे, जिससे आश्रित हितलाभ दर निकाल कर आश्रितों को सूचित किया जा सकें। आश्रित के प्रपत्र 18 पर दावे जो कि उनके हस्ताक्षरयुक्त एंव समर्थ अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो यथा (1) राजस्व व न्यायकि या सरकारी दण्डनायक विभाग के अधिकारी या (2) म्युनिसिपल कमिश्नर या (3) श्रमिक क्षतिपूर्ति आयुक्त या (4 ग्राम पंचायत का मुखिया या (5) उपयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी ।

2. आश्रितों की आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जो निम्न दस्तावेजो की संपुष्टि सहित हो:-

क- जन्म सम्बन्धी सरकारी अभिलेख का प्रमाणिक उद्धरण जिनमें जन्म तिथि स्थान एंव पिता का नाम दिया हों।

ख- जन्म के तुरन्त बाद तैयार की गई मूल जन्म - पत्री ।

ग- विद्यालय अभिलेखों से प्रमाणित उद्धरण जिसमे जन्मतिथि तथा पिता का नाम हो ।

घ- बपतिस्मा रजिस्टर का प्रमाणित उद्धरण।

3. विधवा अन्य महिला आश्रित का घोषणा-पत्र जिसमें लिखा हो कि मृतक की मृत्यु तिथि से उन्होने विवाह / पुर्नविवाह नहीं किया है।

4. संबंधित अवधि का अंशदान कार्ड जो नियोजक के मजदूरी अभिलेखों में बीमांकित व्यक्ति के अंशदान अभिलेख से जाच किया गया हो।

आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

Signed by
Piyush Joshi
Date: 17-09-2024 17:21:21

उप निदेशक(हितलाभ)

प्रतिलिपि:-

श्री/श्रीमती/पत्नी **Laxmi(W/o Late Shankar Lal)** बीमा संख्या **6723149471** पता **Mawana Road Meerut Uttar Pradesh 250401** को सूचनार्थ एवं इस निवेदन के साथ की वह उपरोक्त वांछित प्रपत्र ESIC शाखा कार्यालय **Meerut** में जमा करें।

उप निदेशक(हितलाभ)

NOTARY
NAROTTEM KUMAR GARG
Advocate
OF UTTAR PRADESH (INDIA)